राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।

क्रमांक :- मनो.वैज्ञा.परा./नियु./(आरपीएससी)/एफ /2017/ दिनांकः

– आदेश –

राजस्थान लोकसेवा आयोग, अजमेर के पत्र क्रमांकः एफ–7(1) भर्ती (पी.सी)/गोपनीय/2017–18/186 दिनांक 05.07.17 के द्वारा मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की प्राप्त सूची के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थियों को मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता के पद पर पे–बैण्ड 9300–34800 ग्रेड–पे 4800/– में वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः एफ. 14(1)/एफडी (रूल्स)/2013–II दिनांकः 28.06.13 के द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक(Fix Remuneration) रूपये 15000/– प्रतिमाह अस्थाई रूप से दो वर्ष के प्रोबेशनलकाल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्थान पर किया जाता हैः–

क्र. सं.	रोल न.	नाम अभ्यार्थी	पिता/पति का नाम	जन्म दिनांक	मेरिट नं.	श्रेणी	श्रेणी के विरूद्व चयन	पदस्थापन स्थान
1.	100112	सुश्री नयना कासलीवाल	स्व. श्री एन.के. माथुर	19.01.1991	1	सामान्य महिला	सामान्य	जेकेलोन हॉस्पीटल जयपुर
2.	100049	श्रीमती जयश्री जैन	श्री दिनेश कुमार जैन	26.01.1978	2	सामान्य महिला	सामान्य	मनोचिकित्सा केन्द्र जयपुर
3.	100222	सुश्री उदिता कौशिक	श्री शिव शरण कौशिक	27.11.1991	3	सामान्य महिला	सामान्य	सवाईमानसिंह चिकित्सालय जयपुर

Note:-"These appintments are subject to the decision of SBCWPNo. 9885/2017&21591/2017"

1. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों एवं यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त ही पद की नियमित पे–बेन्ड एवं ग्रेड–पे का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
2. वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः एफ.13 (1)/एफडी/रूल्स/03 दिनांक 28.01.04 के अनुसार उक्त नवनियुक्त कर्मचारियों पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।
3. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख उनके सैकेण्डरी/हाई स्कूल के मूल प्रमाण पत्रों से संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।
4. दिनांकः 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। इस आशय का विधमान नियमानुसार शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से संबंधित नियंत्रण अधिकारी उपस्थिति से पूर्व प्राप्त करेंगें।
5. विभाग की बेबसाईट से इस आदेश की प्रति का प्रिंट लेकर संबंधित नियंत्रण अधिकारी के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत की जा सकेगी।
6. उक्त सभी अभ्यार्थियों को कार्यग्रहण करते समय संबंधित नियंत्रण अधिकारी के सम्मुख स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, व अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है के मूल दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत करने होगे।
7. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे तथा दोषी के विरूद्व न्यायिक/दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाया जा सकेगा।अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किए जावेंगे।
8. उक्त अभ्यार्थियों को दिनांक **10.08.2017** तक संबंधित नियंत्रण अधिकारी (यथा प्रधानाचार्य/अधीक्षक सम्बद्ध चिकित्सालय इत्यादि) के अधीन कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने की दशा में उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
9. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक(क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प015(1) कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.05.05 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
10. उक्त नियुक्तियॉ संबंधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन है।
11. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है उन्हे अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।

sd

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,

राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः– मनो.वैज्ञा.परा./नियु./(आरपीएससी)/एफ.- 1433 /2017/556 दिनांकः 27-7-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव, राज. लोक सेवा आयोग,अजमेर को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्रों के संदर्भ में ।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप– 2/3) विभाग, राज. जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक(प्रशा0), चिकित्सा शिक्षा राज. जयपुर।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक सवाई मानसिंह, चिकित्सालय/अधीक्षक जे.के. लोन चिकित्सालय/मनोचिकित्सा केन्द्र जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने वाले अभ्यार्थियों के मूल शैक्षणिक, तकनीकी,एवं अन्य प्रमाण पत्रों का(आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों से) आपके स्वंय के स्तर पर परीक्षण किया जायेगा। प्रमाण पत्र सही पाये जाने पर ही उपस्थिति स्वीकार की जावेगी। इस प्रक्रिया के बाद प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जावे। अभ्यार्थियों द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन/चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही इन्हे कार्यग्रहण करावें। कोई प्रमाण पत्र सत्यापन के पश्चात् फर्जी, कूटरचित अथव मिथ्या पाये जावे तो उसकी सूचना तत्काल निम्न हस्ताक्षरकर्ता को दी जावे ताकि मामले में त्वरित कार्यवाही कर यथोचित निर्देश दिये जा सके।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जयपुर।
8. पुलिस आयुक्त जयपुर।
9. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करें।
10. संबंधित अभ्यार्थी को उनके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित पते पर डाक द्वारा..
11. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान, जयपुर।